

::- आदेश -::

निदेशालय के आदेश संख्या-नर्सिंग/जीएनएम/एनआरएचएम/ 09/96, 97, 98 एवं 99 दिनांक-28.2.09 के द्वारा, चयनित जीएनएम को व्यक्तिगत अनुबन्ध पर जीएनएम का कार्य किये जाने के लिये संबंधित नियन्त्रण अधिकारियों को आवंटित करते हुये उपस्थिति प्रस्तुत किये जाने हेतु अन्तिम तिथि-25.3.09 निर्धारित की गई थी, को आचार संहिता के मध्यनजर एतद्द्वारा निर्वाचन विभाग से शिथिलता प्राप्त होने पर निदेशालय से तत्समय प्रसारित किये जाने वाले आदेशों में अंकित तिथि तक बढ़ाई जाती है। शिथिलता प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह तिथि 25.5.09 मानी जावेगी। तदनुसार सभी अभ्यर्थियों को भी सूचित किया जावे। एनआरएचएम योजना के तहत चयनित जीएनएम के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश का प्रभाव यथावत रहेगा, जिसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज० जयपुर

क्रमांक-ई-33/नियु०/ग्रा०लै०टै०/1185/ 09/111 दिनांक:- 13/3/09

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-
4. संबंधित प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
6. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
7. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय
8. संबंधित अभ्यर्थी
9. आदेश / रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज० जयपुर